

7/9/21

वीकेंपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 रा.अ.ध. के तहत प्रार्थना पत्र 80(2) सी.पी.सी. के तहत वकील श्री राजेन्द्र नागर ने पेश किया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र 80(2) सी.पी.सी. पर वकील वादी को सुना गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर करने की अनुमति दी जाती है। प्रतिवादीगण को सूचनाई हेतु तलब किया जाकर पत्रायली विनाक 22/10/21 को पेश हो।

प्रशासन गांवों के
सर्व अभियान 2021
केम्प कोर्ट
चौटिस जंशे

22/10/21

पत्रायली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत केम्प कोर्ट में आज पेश हुई। पत्रायली प्रशासन में दोनो पत्रायली में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा तस्दीक किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की उमेर से वकील श्री हसन मिया ने इच्छाली जवाब दावा पेश किया ही शामिल फाइल किया गया।

हमने वाद पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिपोर्ट वस्तुविज एवं राजीनामा का अवलोकन किया। राजीनामा के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। ग्राम कालान्ता पटवार हल्का मरां तहसील नैनवां की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता सं. नया 140 व खाता सं. पुराना 143 के खसरा सं. 191 रकबा 0.97 हेक्टेयर, खसरा सं. 194 रकबा 0.728 हे. खसरा सं. 195 रकबा 0.6715 हेक्टेर, खसरा सं. 197 रकबा 0.9304 हेक्टेयर कुल कित 04 कुल कित रकबा 3.3008 हेक्टेयर कृषि भूमि पर वादीगण रामगोपाल, गिरिराज, हरिराम पि० लखा जाति मीणा के खातेदार कृषु दौषित किया

उपस्थित अधिकारी
राजा (बूकी)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहक हुकम में
	<p>जाता है। डिप्टी पंचा जारी हो। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में तत्सम्बन्धित अंकन किया जावे। निणय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील कारिबल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">१</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्वी)</p>	